मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन **बोर्ड**

26, **किसान** भवन, जेल रोड, अरेरा **हिल्स, भोपाल**

क्रमांक/बोर्ड/प्रां./कृ.भो.व्य./ 296 भोपाल, दिनांक 19/05/2009

प्रति,

सचिव,

कृषि उपज मण्डी समिति,

......................जिला..................

विषय :- मण्डी **प्रांगण** में कृषि उपज के विक्रय **के** लिए आनेवाले कृषकों की सुविधा **के लिए संचालित** भोजनालयों **के व्यय** के संबंध में।

--00--

राज्य **शासन द्वारा** लिए गए निर्णय अनुसार **प्रदेश** की मण्डी समितियों में कृषि उपज के **विक्रय के लिए** आए कृषकों को 5/-**रूपये** में भोजन थाली उपलब्ध कराने की योजना **लागू की गई है।** इस योजना **पर आनेवाले** वित्तीय भार का वहन 'क' एवं 'ख' वर्ग **समितियों** द्वारा स्वयं के स्त्रोतों से, **'ग'** वर्ग की मण्डी समितियों को कुल व्यय का **50% अनुदान** तथा 'घ' वर्ग **की मण्डी समितियों** को **शत्-प्रतिशत** अनुदान बोर्ड द्वारा **दिया जाना है।** इस संबंध में **बोर्ड मुख्यालय** के पत्र क्रमांक/मण्डी/प्रांगण/विविध/केन्टीन/45/48/3956 दिनांक **31.12.2008 द्वारा** विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए गए है। इन **निर्देशों** के तारतम्य में 'ग' एवं **'घ'** वर्ग की मण्डी समितियों में उक्त भोजन व्यवस्था के संचालन हेतु बोर्ड से **अनुदान** प्राप्त करने के लिए निम्नानुसार प्रक्रिया **निर्धारित की** जाती है।

01. 'ग' एवं **'घ'** वर्ग की मण्डी समितियां **अपने प्रांगण** में उक्त भोजनालय **प्रारम्भ करने की दिनांक** से इस **व्यवस्था पर आनेवाला** व्यय का **प्रतिमाह** विवरण संलग्न **परिशिष्ट-क** में अंकित कर **आगामी माह की** 05 तारीख **तक** संबंधित आंचलिक उप संचालक कार्यालय को **प्रस्तुत करेंगी।**

02. 'ग' वर्ग की **मण्डी** समितियां कृषकों के **लिए संचालित** भोजनालय पर होनेवाले व्यय **की** 50% राशि मण्डी समिति **की निधि** से व्यय करेंगी तथा शेष 50% **राशि** अनुदान के रूप में **प्राप्त करने** के लिए प्रस्ताव बोर्ड मुख्यालय को **उक्त** प्रक्रिया के अनुरूप **भेजेंगे।** इसी प्रकार 'घ' वर्ग की मण्डी समितियां **प्रत्येक** माह भोजनालय पर **होनेवाले** सम्पूर्ण व्यय का **विवरण संलग्न निर्धारित प्रपत्र-'क'** में अंकित करते **हुए** उप संचालक, **आंचलिक कार्यालय के माध्यम से बोर्ड** मुख्यालय को **भेजेंगे।**

03. मण्डी समितियां प्रस्ताव प्रेषित करते समय निर्धारित प्रपत्र में सम्पूर्ण जानकारी अंकित करेंगी। व्यय से संबंधित व्हाउचर व अन्य अभिलेख इस प्रस्ताव के साथ नही भेजे जाएंगे। व्यय के समस्त व्हाउचर मण्डी समिति ही सुचारू रूप से संधारित करेंगी, जिनका आंचलिक उप संचालक अथवा बोर्ड मुख्यालय के अधिकारियों द्वारा किसी भी समय परीक्षण किया जा सकेगा।

04. आंचलिक उप संचालक, उनके अधीनस्थ समस्त मण्डी समितियों से प्रस्ताव प्राप्त होने पर उनका परीक्षण करेंगे एवं निर्धारित प्रपत्र-'ख' में अपने स्पष्ट अभिमत सहित संकलित प्रस्ताव प्रत्येक माह की 15 तारीख तक बोर्ड मुख्यालय की प्रांगण शाखा को आवश्यक रूप से उपलब्ध कराएंगे। इस संबंध में यह प्रशासनिक दृष्टि से अपेक्षित है कि आंचलिक उप संचालक उनके कार्यालय में होनेवाली मासिक बैठक में इस प्रस्ताव से संबंधित जानकारी अपने स्तर पर प्राप्त कर इसका त्वरित परीक्षण कर सकते हैं जिससे उन्हें अपना अभिमत/अनुशंसा में सुविधा होगी।

05. सभी सातों आंचलिक उप संचालकों से प्राप्त प्रस्तावों का संधारण प्रांगण शाखा में किया जायेगा एवं संभागवार अनुदान की स्वीकृति सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त की जाएगी। स्वीकृति प्राप्त होने पर संभागवार प्रस्ताव अनुदान विमुक्ति के लिए लेखा शाखा को प्रेषित किया जाएगा।

06. लेखा शाखा द्वारा कृषक भोजनालय पर हुए व्यय का अनुदान विमुक्त करने के लिए संबंधित मद में स्वीकृत बजट उपलब्धता का परीक्षण किया जायेगा तथा मण्डीवार अनुदान के ड्राफ्ट तैयार कर आंचलिक उप संचालकों को बोर्ड मुख्यालय में आयोजित मासिक समीक्षा बैठक में उपलब्ध कराया जाएगा। आंचलिक उप संचालक इन ड्राफ्टों को संबंधित मण्डी समितियों में अग्रेषित कर उनकी अभिस्वीकृति (पावतियां) प्राप्त कर बोर्ड मुख्यालय को उपलब्ध कराने की आवश्यक व्यवस्था अपने स्तर पर सुनिश्चित कराएंगे।

मण्डी समिति को भोजन व्यवस्था पर होनेवाले व्यय के वहन के लिए अनुदान उसी स्थिति में स्वीकृत किया जाएगा जिन मण्डी समिति में भोजन की प्रति थाली दर 5/-रूपये से अधिक है। ऐसी मण्डी समितियां जहां यह दर 5/- रूपये से कम है वहां थाली का भुगतान संबंधित कृषकों द्वारा (दर 5/-रूपये के भीतर होने के कारण) ही किया जाना है। अनुदान प्रति थाली 5/- रूपये से अधिक के किए गए भुगतान के आधार पर ही किया जाना है। अतः 'ग' एवं 'घ' वर्ग की मण्डी समितियां इस मापदण्ड अनुसार ही प्रस्ताव प्रेषित करेंगी।

08. मण्डी समितियों में कृषि उपज के विक्रय के लिए आनेवाले कृषकों के लिए रियायती दर पर भोजन उपलब्ध कराने की व्यवस्था राज्य शासन की एक जनकल्याणकारी एवं महत्वपूर्ण योजना है। अतः इसमें सभी स्तर पर निर्धारित की गई समय सीमा का विशेष ध्यान रखा जाएगा यदि किसी भी स्तर पर इसमें लापरवाही अथवा उदासीनता बरती जाती है तो संबंधित अधिकारी/कर्मचारी दायित्वपूर्ण होंगे तथा उनके विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जाएगी।

चूंकि इस योजना के प्रारम्भ हुए लगभग 3-4 माह की अवधि व्यतीत हो चुकी है अतः मण्डी समितियों में उक्त भोजन व्यवस्था को प्रारम्भ करने की दिनांक से 30 अप्रैल, 2009 तक के प्रस्ताव एक साथ भेजे जाएंगे तथा इसके पश्चात् प्रतिमाह उक्त प्रक्रिया अनुसार प्रस्ताव भेजा जाना सुनिश्चित किया जाएगा।

उक्त आदेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए।

प्रबंध संचालक
म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

पृष्ठांकन क्रमांक/बोर्ड/प्रां./कृ.भो.व्य./297 भोपाल, दिनांक 19/05/2009

प्रतिलिपि :-

01. समस्त अपर संचालक/संयुक्त संचालक, मण्डी बोर्ड, मुख्यालय, भोपाल।
02. समस्त उप संचालक, मण्डी बोर्ड, मुख्यालय, भोपाल।
03. समस्त उप संचालक, मण्डी बोर्ड, आंचलिक कार्यालय.........................
04. लेखाधिकारी (आडिट/लेखा), मण्डी बोर्ड, मुख्यालय, भोपाल।

प्रबंध संचालक
म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

(6)

प्रपत्र-

'ग' एवं 'घ' वर्ग की मण्डी समितियों में संचालित कृषक भोजनालय पर हुए व्यय से संबंधित अनुदान प्राप्त करने के लिए निर्धारित प्रपत्र

माह......................सन्.................

मण्डी समिति का नाम ....जिला.................................मण्डी समिति का वर्ग.......................

मण्डी समिति द्वारा भोजन के लिए स्वीकृत प्रति थाली दर ..../-रूपये

मण्डी समिति में माह में कृषकों को जारी की गई प्रवेश पर्ची/ अनुबंध पत्रों की संख्या	कृषकों को माह में भोजन हेतु जारी कूपनों की कुल संख्या	माह में भोजन करनेवाले कृषकों की संख्या	भोजनालय के ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत देयकों का विवरण (रूपये 5/- प्रति थाली के ऊपर भुगतान योग्य राशि)		मण्डी कार्यालय द्वारा सत्यापित		मण्डी समिति की पात्रता अनुसार अनुदान की राशि
			कूपन की संख्या	राशि	कूपनों की संख्या	अनुशंसित राशि	
01.	02.	03.	04.	05.	06.	07.	08.

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त समस्त जानकारी मण्डी समिति में उपलब्ध प्रवेश पर्ची, अनुबंध पर्ची, जारी कूपन तथा ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत देयकों के आधार पर ही प्रस्तुत की गई है तथा यह समस्त अभिलेख मण्डी समिति के कार्यालय में सुचारू रूप से संधारित कर लिए गए है। मण्डी समिति को उक्त व्यवस्था पर हुए कुल व्यय रूपये ....में से अनुदान राशि रूपये.........................(शब्दों में रूपये ....) की पात्रता आती है जिसकी मांग प्रस्तुत की जाती है।

सचिव

कृषि उपज मण्डी समिति

.......................जिला.................

अधानस्थ 'ग' एवं 'घ' वर्ग की मण्डी समितियों में भोजन व्यवस्था पर होनेवाले व्यय से संबंधित अनुदान प्रस्ताव (5)

माह.....................सन्.............

क्रमांक	मण्डी का नाम	मण्डी का वर्ग	मण्डी समिति में माह में भोजन व्यवस्था पर हुए कुल व्यय का विवरण				संबंधित मण्डी समिति का दिए जानेवाले अनुदान की राशि
			जारी प्रवेश पर्ची/अनुबंध पत्रों की संख्या	जारी कूपनों की संख्या	ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत देयक की राशि	मण्डी समिति द्वारा देय/भुगतान योग्य राशि	
(01.)	(02.)	(03.)	(04.)	(05.)	(06.)	(07.)	(08.)
01.							
02.							
03.							
04.							
05.							
06.							
07.							
08.							
	योग						

प्रमाणित किया जाता है कि मण्डी समितियों में संचालित भोजनालय पर होनेवाले व्यय के अनुदान के रूप में स्वीकृत करने के लिए तैयार किया गया उक्त प्रस्ताव मण्डी समिति से प्राप्त जानकारी के आधार पर तैयार किया गया है। कार्यालय में उपलब्ध जानकारी के आधार पर मण्डी समितियों में भोजन व्यवस्था संचालित है। उपरोक्तानुसार अनुदान राशि रूपये ....(शब्दों में रूपये...) विमुक्त करने की अनुशंसा की जाती है।

उप संचालक

म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड

आंचलिक कार्यालय..............